न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 78/2021
GCMS No-2021/226

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		इन्दर कुमार पुत्र श्री देवराज जैन मैसर्स पलक एजेन्सीज मैन बाजार रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक - 22.06.22

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपना लिखित जवाब पेश किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 25.03.2021 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स पलक एजेन्सीज मैन बाजार रानी जिला पाली पर गया, जहां पर अप्रार्थी इन्दर कुमार उपस्थित मिला। प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया एवं अपना परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी की फर्म पर सरसों का तैल(महारानी ब्राण्ड) पैक अवस्था में आमजन को बिक्री हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। विक्रेता एंव गवाहान को यह बता दिया कि यह नमूना में एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। रूबरू गवाह एवं विक्रेता के सामने विक्रेता से 320 रूपये नगद देकर सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) वास्ते जॉच हेतु क्रय किया तथा विक्रेता से रसीद प्राप्त की तथा उक्त क्रयसुदा सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1229 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./264/एक्ट/2021/362 दिनांक 08.04.2021 के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Mis Branded सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) पैकिंग अवस्था में बेचता है, जिसमें प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है एवं न ही उसकी फर्म में तैयार नहीं किए है, लिहाजा उसे शास्ति से मुक्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.03.2021 को अप्रार्थी की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) को चार भागों में विभक्त कर, लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1229 अंकित कर सीलबन्द कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./264/एक्ट/2021/362 दिनांक 08.04.2021 के अनुसार The sample of mustard Oil(maharani Brand) bearing Code No. & Sr.No. R-1229 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Misbranded under section 3 (1)(zf)(C) (i) of Food Safety and Standards Act-2006. माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (8) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का भी उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य तेल सरसों का तेल (महारानी ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 22.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली